न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी	:	पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0 (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत प्रार्थना पत्र सं0	:	294/2026
सीआईएस नं0	:	528/2026

सचिन सिंगीवाल पुत्र सत्यवीर निवासी पनियाला, पुलिस थाना पनियाला, कोटपुतली, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक। .....अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–483 बी0एन0एस0एस0
एफआईआर सं0 508/2025 पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर पूर्व
अपराध अंतर्गत धारा 303 (2) बी0एन0एस0

उपस्थितिः–

1. श्री हर्षल सांखला, श्री शौर्य पारस अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक, अप्रार्थी सरकार।

:: आदेश :: **दिनांक : 18.06.2026**

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई, पत्रावली तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.12.2025 को परिवादी श्री रोहित रेवाड़ा पुत्र श्री पुरूषोत्तम रेवाड़ा ने पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर पूर्व में इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की कि ''दिनांक 01 दिसम्बर को मैं दोपहर 2 बजे स्पर्श हॉस्पिटल सांगानेर में इन्टरव्यू के लिए आया था। गाडी को पार्किंग में खड़ी करके मैं हॉस्पिटल में चला गया था। उस वक्त दोपहर के 2 पी0एम0 समय हो रहा था। 40 मिनट के अन्तराल के बाद जब मैं बाहर आया तो बाईक पार्किंग में नहीं थी। मेरी गाड़ी का रजि0 नम्बर आर0जे0 59 एस0डी0 4149 है.....इत्यादि।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 508/2025 पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर पूर्व में अंतर्गत धारा 303 (2) बी0एन0एस0 में दर्ज की गई तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया एवं आरोपपत्र पेश किया गया। प्रार्थी की जमानत का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 480 बी0एन0एस0एस0 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–17, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर द्वारा दिनांक 11.06.2026 को खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

3. जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी प्रकरण में दिसम्बर 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी को मामले में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी का आरोपित अपराध से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी के जेल में रहने से उसके नैतिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ने का अंदेशा है। प्रार्थी के भागने या फरार होने का अंदेशा नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर आजाद किया जावे।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का कथन किया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 303 (2) बी0एन0एस0 का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोपपत्र पेश किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 02 अन्य प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित माना गया अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार होने की दिनांक 17.12.2025 से अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त सचिन सिंगीवाल पुत्र सत्यवीर द्वारा प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–483 बी0एन0एस0एस0 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें एवं 50,000/–रूपये की राशि का मुचलका अपराध की पुनरावृति नहीं करने, प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहने की शर्त के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–17, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर की संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा दे तो अभियुक्त को इस प्रकरण में आजाद कर दिया जावे।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

8. आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर